

पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थी 8 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि हमारी उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावें। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम पीथमपुरी स्थित खसरा नंबर 1654 रकबा 1.01 हैक्टे. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

प्रा० पत्र० 132/2022

निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी स्थित खसरा नंबर 1654 रकबा 1.01 हैक्टे. की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर सीमाज्ञान दिनांक 05.05.2018 की पक्षकारान की उपस्थिति में पुष्टि व संतुष्टि कर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 05.05.2018 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)